

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वनसंरक्षक/वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम :- ए.डी.बी. लोन-3 अंतर्गत पांडुका, जतमई, घटारानी गायडबरी, मड़ेली, मुड़ागांव मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य निर्माण
2. आवेदक/आवेदक विभाग का नाम :- छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग रायपुर (छ0 ग0)
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग :- 24.569 हेक्टेयर
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति :-

जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल
गरियाबंद	गरियाबंद	पांडुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मड़ेली, मुड़ागांव मार्ग
		विकासखण्ड - फिंगेश्वर, छुरा

5.

वनभूमि का विस्तृत विवरण	वनखण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षे.फ.
आरक्षित	कुसुमपानी, फलझर, गायडबरी, परसुली(पार्ट)	118,119,114,115, 116,109,90	9.603
संरक्षित	तौरेंगा(पार्ट), चिखलपानी, टेंगुरापानी, पीपरछेड़ी (उत्तर)	76,117,113,111,94	9.788
असीमांकित संरक्षित	-	-	-
योग :-			19.391
राजस्व वनभूमि का विस्तृत विवरण	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षे.फ.
राजस्व वन भूमि	कुरुद	745,725,746,724,722,710,709,	0.269
	गाड़ाघाट	547,548,550,552,829,831,833,834,835	0.794
	सांकरा	86,245	0.444
	तौरेंगा	104	0.088
	मड़ेली	1752,1781	0.066
	पीपरछेड़ी	2,12,234,426,448,454,468,	3.517
योग			5.178
कुल योग			24.569

6. आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार :- साल/सागौन/मिश्रित ✓
साईट क्वालिटी :- III
घनत्व :- 0.5

7. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण :- प्रजातिवार कुल वृक्षों की संख्या - 3333 नग।
(विदोहन योजना संलग्न)
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति :- निरंक
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग (पी.डब्लू.डी./वनमार्ग आदि) :- निरंक
जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करे।
10. क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 कि.मी के अंतर्गत है अथवा नहीं।
:- नहीं।
यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करे।
11. आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावे एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)
:- नहीं।
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं। तो संक्षिप्त विवरण देवे।
:- उल्लंघन नहीं किया गया।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- गरियाबंद

दिनांक :- 17/01/2020

वन संरक्षक/व०म०अ० के हस्ताक्षर

बल्लू/वनमण्डल
गरियाबंद वन मण्डल गरियाबंद
मय सील

मयंक अग्रवाल²
(भा. व. से.)